रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112022-240623 CG-DL-E-28112022-240623

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5283]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2022/अग्रहायण 7, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2022/AGRAHAYANA 7, 1944

No. 5283]

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2022

का.आ. 5513(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के वलसाड जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड़ फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, उप-कलेक्टर, वलसाड, द्वितीय तल, कलेक्टर ऑफिस, वलसाड, गुजरात को लिखित मे किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रुप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों का अनुज्ञात या अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरिक्षण किया जा सकता है।

7891 GI/2022 (1)

# अनुसूची

गुजरात राज्य के वलसाड जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि की संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम – वलसाड

क्रम	जिले का	तालुका का	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण / गाटा संख्या		क्षेत्रफल
संख्या	नाम	नाम		पुराना	नया	हैक्टयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वलसाड	उमरगॉव	(1) सोलसुंबा	124	204	0.0351
			(2) तुंब	91 पार्ट 1	714	0.0500
				90 पार्ट 4	101	0.0030

[फा. सं. 2022 / एलएमएल—II / 12 / 1 / डब्ल्यू सी / 2358] पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

# MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD) NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2022

**S.O. 5513(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution, maintenance, management and operation of special Railway Project, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Valsad in the State of Gujarat hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under subsection (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Deputy Collector, Valsad, Office of Deputy Collector, Second Floor, Collector Office, Valsad, Gujarat in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objection and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

#### **SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling within the district Valsad for the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat.

## Name of the District- Valsad

Serial Number	Name of the	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey/ Gut Number		Area in Hectares
	District			Old	New	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Valsad	Umbergaon	(1) Solsumba	124	204	0.0351
			(2) Tumb	91 Part 1	714	0.0500
				90 Part 4	101	0.0030

[F. No. 2022/LML-II/12/1/WC/2358]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)